प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –458 / 2022

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. ताराचन्द पुत्र मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुलेखा पुत्री मुंगाराम मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. लक्ष्मी देवी पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कृष्णा देवी पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांकः 29.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 77 / 77 के ख0न0 274 की 6.8420 भूमि में से 3541 / 6842 हिस्सा मुंगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं

उक्त वाद वर्तमान में भूंगाराम पुत्र आसूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूंगाराम पुत्र आसूराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा भुंगाराम की पत्नी गोमती का भी स्वर्गवास हो चुका है। भूंगाराम पुत्र आसूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो की उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 7 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] की जावें की वादी [illegible] हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्त श्री महेशचन्द्र शर्मा ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता भुंगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है। प्रतिवादीगण स0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया बाद हक त्याग वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के हक हिस्सा की भूमि है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के ख0न0 274 की 6.8420 भूमि में से 3541/6842 हिस्सा मुंगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक मुंगाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एव प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्त श्री महेशचन्द्र शर्मा द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 77/77 के ख0न0 274 की 6.8420 भूमि में से 3541/6842 हिस्सा भूंगाराम पुत्र आसूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भूंगाराम पुत्र आसूराम का नाम कलजन किया जाकर वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 458/2022

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र मुगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हंसराज पुत्र मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. ताराचन्द पुत्र मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुलेखा पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. लक्ष्मी देवी पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कृष्णा देवी पुत्री मुंगाराम जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 458 सन 2022 निर्णय दिनांक 29.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 77/77 के ख0न0 274 की 6.8420 भूमि में से 3541/6842 हिस्सा भूंगाराम पुत्र आसूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भूंगाराम पुत्र आसूराम का नाम कलजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी